

**राजस्थान विधान सभा**  
**अष्ठम् सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2012**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

**2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य, विधान सभा, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रेडियेशन विभाग में कैंसर सेक की सभी मशीनें लम्बे अरसे से खराब होने के कारण मरीजों को होने वाली परेशानी के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

**3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**वार्षिक प्रतिवेदन**

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 61वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखेंगे।

**4. याचिका का उपस्थापन**

श्री बाबू सिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा, राजस्थान बजट 2012-2013 में की गई घोषणानुसार तहसील-शेरगढ़ में सहायक कृषि अधिकारी, चामू एवं कृषि पर्यवेक्षकों के नवीन पद सृजित कर पदस्थापन करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

**5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013**

**द्वितीय अवस्था**

**अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान**

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<b>क्र.सं.</b>	<b>मांग संख्या</b>
1.	19- लोक निर्माण कार्य
2.	21- सड़कें एवं पुल

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

**नोट – आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013 की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।**

जारी...2..

**6. विधायी कार्य**

**पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक**

**राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012**

राजस्थान विनियोग (संख्या-4)  
विधेयक, 2012  
(2012 का विधेयक संख्या-5)

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-  
“वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।”
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया  
विशेषाधिकारी

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 18 अप्रैल, 2012